NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 11-11-2024

विषय सूची

करतारपुर साहिब कॉरिडोर के 5 वर्ष

विकलांग अधिकारों पर उच्चतम न्यायलय का निर्णय

खाद्य वितरण दिग्गजों द्वारा एंटी ट्रस्ट लॉ (Antitrust Laws) का उल्लंघन

भारत में स्वास्थ्य में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में गिरावट

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 (Adaptation Gap Report 2024)

पवन ऊर्जा उत्पादन में सुधार

संक्षिप्त समाचार

4B आंदोलन (4B Movement)

QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (QS World University Rankings)

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं परिवर्तित किया जा सकता

भारत के 51 वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)

ग्लूटेन (Gluten)

अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में भारतीय कंपनियां

बिजली गिरने से बचाने के लिए तड़ित चालक (Lightning Rods to Prevent Lightning Strikes)

पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च (MBRL) सिस्टम

करतारपुर साहिब कॉरिडोर के 5 वर्ष

समाचार में

- भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर अपनी पांचवीं वर्षगांठ मना रहा है।

करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में

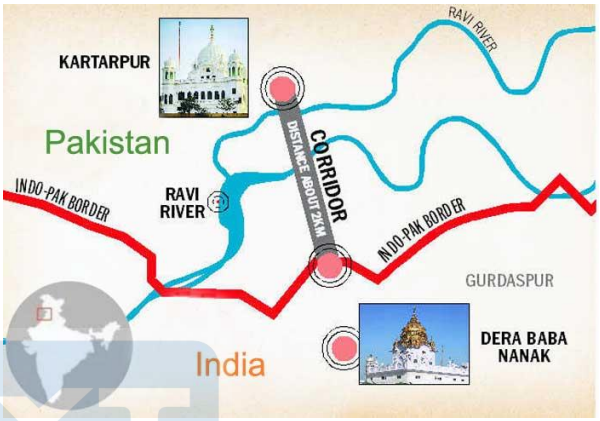

- **पृष्ठभूमि:** इस कॉरिडोर का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1999 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने दिल्ली-लाहौर बस कूटनीति पहल के भाग के रूप में रखा था।
- **विकास:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर, 2019 को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया।
  - यह कॉरिडोर पाकिस्तान के नरोवाल जिले में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब तक जाता है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।
- **विशेषताएं:** यह एक वीजा-मुक्त सीमा पार और धार्मिक कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है, जो पाकिस्तान में नरोवाल के पास गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को भारत में पंजाब के गुरदासपुर जिले में गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से जोड़ता है।
  - करतारपुर में गुरुद्वारा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है।
  - भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को अतिरिक्त पाँच वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

गुरु नानक देव (1469-1539) के बारे में

- उनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी राय भोई नामक गांव में हुआ था (बाद में इसका नाम परिवर्तित कर ननकाना साहिब कर दिया गया)।
- गुरु नानक देव ने 16वीं शताब्दी में ही अंतर-धार्मिक संवाद की शुरुआत की थी और अपने समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदायों के साथ बातचीत की थी।
- उनकी लिखी रचनाओं को पांचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन (1563-1606) द्वारा संकलित आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था।
  - 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह (1666-1708) द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए जाने के बाद इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगा।
  - आदि ग्रंथ के संकलन में, गुरु अर्जन ने गुरु नानक देव द्वारा शुरू की गई विचारधारा की एकता को बनाए रखते हुए बहुलवाद के प्रति उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई।
- गुरु नानक देव जयंती गुरु नानक देव के जन्म के उपलक्ष्य में कटक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।

उनकी मान्यताएँ

- उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप का समर्थन किया।

- उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान स्नान, मूर्ति पूजा, तपस्या और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्मग्रंथों को अस्वीकार कर दिया।
- उन्होंने सामूहिक पूजा (संगत) के लिए नियम स्थापित किए जिसमें सामूहिक पाठ शामिल था।
- उन्होंने अपने शिष्यों में से एक अंगद को अपना उत्तराधिकारी (गुरु) नियुक्त किया और यह प्रथा लगभग 200 वर्षों तक चली।

Source : TH

विकलांग अधिकारों पर उच्चतम न्यायलय का निर्णय

समाचार में

- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच विकलांग व्यक्तियों के लिए एक आवश्यक मानवीय तथा मौलिक अधिकार है, फिर भी यह अधिकार अत्यंत सीमा तक अधूरा है।

भारत में विकलांगता अधिकार

- भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों में परिवर्तनकारी बदलाव हो रहा है, जो दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
- इस आंदोलन को विभिन्न नीतियों और पहलों द्वारा समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो, अवसरों तक पहुँच सके तथा समाज में पूरी तरह से भाग ले सके।
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियमों को तीन माह के अंदर अनिवार्य मानकों को लागू करने के लिए संशोधित करे।

प्रमुख प्रयास

- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD):** 1995 के अधिनियम का स्थान लेता है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सम्मान, गैर-भेदभाव और समान अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए UNCRPD के साथ संरेखित है।
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999:** ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए समर्पित एक निकाय की स्थापना करता है।
- **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992(Rehabilitation Council of India Act, 1992):** पुनर्वास सेवाओं को विनियमित करता है, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करता है, और योग्य पेशेवरों के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखता है।
- **RPwD अधिनियम (SIPDA) के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इसका उद्देश्य 15-59 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है, विशेष रूप से श्रवण और वाक् विकलांगता(hearing and speech impairments) वाले लोगों के लिए।
- **ADIP योजना:** एजेंसियों को वित्त पोषण के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों के लिए कर्णावत प्रत्यारोपण(cochlear implants) सहित सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करता है।
- **समर्थ रिस्पिट केयर(SAMARTH Respite Care):** अनाथों, संकटग्रस्त परिवारों और निम्न आय वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए अस्थायी आवास सहायता प्रदान करता है।

- **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS):** दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल, प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजनाएँ चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC):** दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना और विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना के माध्यम से दिव्यांगों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।
- **PM-DAKSH-DEPwD पोर्टल:** दो मॉड्यूल प्रदान करता है: दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण और दिव्यांगजन रोज़गार सेतु, जो दिव्यांगों को रोज़गार के अवसरों से जोड़ता है।
- **सुगम्य भारत अभियान:** इस पहल का उद्देश्य शिक्षा, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों में बाधा-मुक्त वातावरण बनाना है ताकि सभी के लिए पहुँच को बढ़ाया जा सके।
- **दिव्य कला मेला(Divya Kala Mela):** यह कार्यक्रम दिव्यांग कारीगरों की शिल्पकला का उत्सव मनाता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है।

मुद्दे और चिंताएँ

- **बुनियादी स्तर पर असमानताएं:** विभिन्न क्षेत्रों में सुलभ बुनियादी ढांचे में विसंगतियां हैं, जैसे कि दिल्ली में 3,775 व्हीलचेयर-सुलभ बसें हैं, जबकि तमिलनाडु में 1,917 हैं, और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अंधेरी मेट्रो स्टेशन जैसी नई सुविधाएं मानकों को पूरा करती हैं, जबकि बॉम्बे आर्ट गैलरी जैसी पुरानी सुविधाओं में बुनियादी पहुंच सुविधाओं का अभाव है।
- **संबंधों के अधिकार की अनदेखी:** समाज प्रायः दिव्यांग व्यक्तियों के भावनात्मक और संबंधपरक अधिकारों की उपेक्षा करता है, जिसमें प्रेम, गोपनीयता तथा अंतरंगता की आवश्यकता भी शामिल है, जो प्रायः अपर्याप्त निजी स्थानों के कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
- **अनिवार्य सुगम्यता मानक(Mandatory Accessibility Standards):** अनिवार्य सुगम्यता मानकों की कमी चिंता का विषय है।
- **विकलांगता का सामाजिक मॉडल:** "विकलांगता का सामाजिक मॉडल", जो व्यक्तियों को "ठीक करने" से ध्यान हटाकर समाज में विकलांगता उत्पन्न करने वाली शारीरिक, संगठनात्मक और मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित करता है।
- **समाज की भूमिका:** विकलांगता तभी त्रासदी बन जाती है जब समाज दिव्यांगों को पर्याप्त संसाधन और सहायता प्रदान करने में विफल रहता है।

सुझाव और आगे की राह

- **निर्मित पर्यावरण सुगम्यता (Built Environment Accessibility):** स्कूल, चिकित्सा केंद्र और कार्यस्थल जैसी सुलभ इनडोर और आउटडोर सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
    - शारीरिक बाधाओं को दूर करें ताकि सभी को लाभ पहुंचाने वाले समावेशी वातावरण का निर्माण हो, जिसमें विकलांग व्यक्ति (PwD) भी शामिल हैं।
- **परिवहन प्रणाली सुगम्यता(Transportation System Accessibility):** हवाई यात्रा, बसों, टैक्सियों और ट्रेनों में सुलभ परिवहन विकल्पों को सक्षम करें।
- **सूचना और संचार सुगम्यता(Information and Communication Accessibility):** दैनिक जीवन में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सुलभ जानकारी प्रदान करें (उदाहरण के लिए, मूल्य टैग पढ़ना, कार्यक्रम में भागीदारी, स्वास्थ्य सेवा की जानकारी, ट्रे
- न शेड्यूल)।

- **सांकेतिक भाषा दुभाषियों की संख्या में वृद्धि(Increasing Sign Language Interpreters):** सांकेतिक भाषा पर निर्भर व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों की संख्या का विस्तार करें।

Source : TH

खाद्य वितरण दिग्गजों द्वारा एंटी ट्रस्ट लॉ(Antitrust Laws) का उल्लंघन

सन्दर्भ

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की हालिया जांच में पाया गया कि खाद्य वितरण दिग्गज ज़ोमैटो और स्विगी ने अपने प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध चुनिंदा रेस्तरां को प्राथमिकता देकर प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया है।

नैतिक चिंताएँ

- अनुचित प्रतिस्पर्धा, छोटे व्यवसायों का शोषण, पारदर्शिता की कमी और उपभोक्ता हेरफेर।

भारत में एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में

- इन्हें प्रतिस्पर्धा कानून के रूप में भी जाना जाता है, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और एकाधिकारवादी प्रथाओं को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो उपभोक्ताओं तथा अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा सकते हैं।
- भारत में, एंटी ट्रस्ट मुद्दों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 है, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लागू किया जाता है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के बारे में

- **उद्देश्य:** प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना एवं व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- **मुख्य घटक**
  - **प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते:** ये ऐसे समझौते हैं जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
    - **क्षैतिज समझौते:** उत्पादन श्रृंखला के समान स्तर पर उद्यमों के बीच समझौते, जैसे कि मूल्य निर्धारण, बाजार आवंटन और बोली-समझौते।
    - **ऊर्ध्वाधर समझौते:** उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर उद्यमों के बीच समझौते, जैसे कि टाई-इन व्यवस्था, विशेष आपूर्ति समझौते और पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव।
- **प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग:** यह तब होता है जब कोई उद्यम बाज़ार में अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का उपयोग प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए करता है। शिकारी मूल्य निर्धारण, उत्पादन को सीमित करना और प्रवेश में बाधाएँ उत्पन्न करना जैसी प्रथाएँ इस श्रेणी में आती हैं।
- **संयोजनों का विनियमन:** इसमें विलय, अधिग्रहण और समामेलन का विनियमन शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण कमी न लाएँ।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI)

- **परिचय:** यह भारत में निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

- **विजन और मिशन:** सहभागिता और प्रवर्तन के माध्यम से एक सक्षम प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- **मुख्य कार्य:** CCI प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रमुख पदों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की जांच और निर्णय करता है। इसमें कार्टेल, बोली-समझौते और प्रतिस्पर्धा को विकृत करने वाली अन्य प्रथाएँ शामिल हैं।
  - CCI विलय, अधिग्रहण और समामेलन की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें। प्रतिस्पर्धा अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों ने विलय के लिए नई सीमाएँ प्रस्तुत की हैं, विशेष रूप से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में।
  - CCI व्यवसायों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहन देने के लिए समर्थन में संलग्न है। इसमें कार्यशालाएँ, सम्मेलन और प्रकाशन शामिल हैं।
  - CCI सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के साथ सहयोग करता है।

भारत में प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़ी चुनौतियाँ

- मजबूत ढांचे के बावजूद, भारत में प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें लंबी कानूनी प्रक्रियाएं, दंड की वसूली की कम दर और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच अधिक जागरूकता की आवश्यकता शामिल है।

आगे की राह

- **बाजार निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स और AI:** बाजार के रुझान, मूल्य निर्धारण पैटर्न और संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की सक्रिय निगरानी के लिए CCI को उन्नत डेटा एनालिटिक्स और AI क्षमताओं से लैस करें।
- **क्षेत्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ करना:** मामले की हैंडलिंग को सुव्यवस्थित करने और देरी को कम करने के लिए, सरकार को क्षेत्रीय CCI कार्यालय स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
- **वैश्विक नियामकों के साथ बेहतर सहयोग:** यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान जैसे अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा नियामकों के साथ गठबंधन और समझौता ज्ञापन बनाएं, ताकि सीमा पार प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से निपटने में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों से जुड़े मामलों पर अंतर्दृष्टि, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके तथा समन्वय किया जा सके।
- **सार्वजनिक जागरूकता और पारदर्शिता पहल:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू करें।

Source: TH

भारत में स्वास्थ्य में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में गिरावट

सन्दर्भ

- 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, भारत ने आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में गिरावट दर्ज की है।
    - रिपोर्ट बताती है कि OOPE 2013-14 में 64.2% से घटकर 2021-22 में 39.4% हो गई।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)

- स्वास्थ्य सेवा में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) से तात्पर्य उस धन से है जो लोग चिकित्सा सेवाओं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ और अस्पताल में रहना, के लिए सीधे अपनी जेब से देते हैं।
- OOPE कम आय वाले परिवारों को अपनी आय या बचत का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य सेवा पर व्यय करने के लिए मजबूर करता है।
- यह वित्तीय भार परिवारों को निर्धनता की ओर ले जा सकता है, ऋण का कारण बन सकता है और उनके लिए भोजन और शिक्षा जैसी अन्य आवश्यक चीजों को वहन करना कठिन बना सकता है।

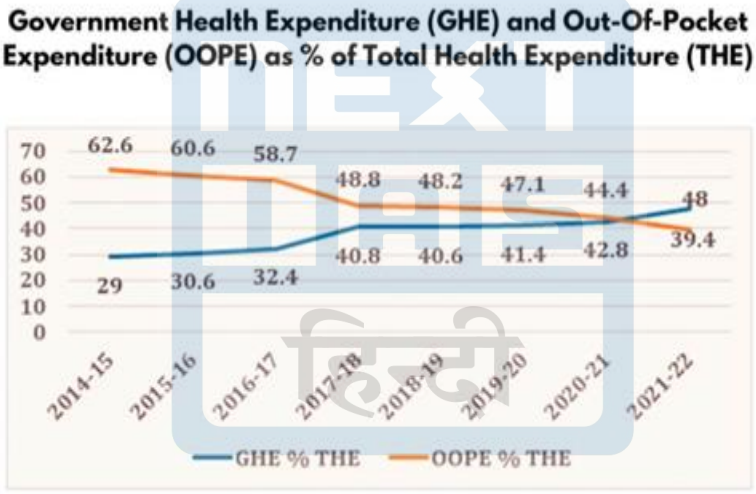

OOPE में गिरावट के कारण

- **सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE):** 2014-15 और 2021-22 के बीच, स्वास्थ्य व्यय में सरकार का भाग सकल घरेलू उत्पाद के 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया।
- **सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE) का विस्तार:** सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2014-15 में कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के 5.7% से बढ़कर 2021-22 में 8.7% हो गए।
- **सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा योजनाएँ:** आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने आर्थिक रूप से असमर्थ जनसंख्या को बीमा कवरेज प्रदान किया है।
- **गैर-संचारी रोगों (NCD) के लिए लक्षित कार्यक्रम:** NCD के बढ़ते मामलों के साथ, सरकार ने इन दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए लक्षित कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और कार्यबल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सरकारी योजनाएँ

- **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY):** यह द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMJAY):** यह जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY):** यह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली अधिकांश बीमारियों के लिए 30,000 रुपये तक का कवरेज है।
- **टेलीमेडिसिन सेवाएँ (e-Sanjeevani):** दूरस्थ परामर्श सेवाएँ प्रदान करती हैं, जो यात्रा और व्यक्तिगत परामर्श से जुड़े लागत भार को कम करने में सहायता करती हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** यह प्रत्येक माह की 9 तारीख को नि:शुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर कम OOPE के प्रभाव

- **परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता में वृद्धि:** स्वास्थ्य सेवा व्यय पर अपनी आय का कम भाग व्यय करने के कारण, परिवार अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए धन आवंटित कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय लचीलापन में सुधार होगा।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आधार:** OOPE में कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा निधि में वृद्धि भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ संरेखित है।
- **स्वास्थ्य सेवा में कार्यबल की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन:** बेहतर सरकारी निधि के साथ, स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं अधिक कर्मचारियों को नियुक्त और प्रशिक्षित कर सकती हैं, जिससे सेवा वितरण में सुधार होता है, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में।

निष्कर्ष

- OOPE में कमी एक परिवर्तनकारी बदलाव है, जो एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- चूंकि सरकार स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना जारी रखती है, इसलिए भविष्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की संभावना है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसकी आय कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच होगी।
- यह परिवर्तन न केवल वित्तीय राहत का संकेत देता है, बल्कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य लचीलापन को भी बढ़ाता है, जिससे एक स्वस्थ, अधिक आर्थिक रूप से स्थिर जनसँख्या को प्रोत्साहन मिलता है।

Source: PIB

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024(Adaptation Gap Report 2024)

सन्दर्भ

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा "अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024: कम हेल एंड हाई वाटर' (Come Hell and High Water)" जारी की गई।

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट (AGR)

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रकाशन है।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर वैश्विक प्रगति का आकलन करना है, अर्थात वर्तमान और भविष्य के जलवायु प्रभावों के लिए समायोजन तथा तैयारी के लिए देशों द्वारा किए गए प्रयास।
- अनुकूलन अंतराल का तात्पर्य वास्तव में कार्यान्वित किए जा रहे अनुकूलन प्रयासों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक अनुकूलन आवश्यकताओं के बीच के अंतर से है।

मुख्य बातें

- **अनुकूलन वित्त अंतर (Adaptation Finance Gap):** यद्यपि विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर $28 बिलियन हो गया, लेकिन कुल अंतर अभी भी अत्यंत वृहद है।
  - ग्लासगो जलवायु संधि के तहत 2025 तक लक्ष्य के अनुसार 2019 के स्तर से अनुकूलन वित्त को दोगुना करने से भी वित्त अंतर में केवल 5% की कमी आएगी।
- **अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन:** 87% देशों के पास अब कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना साधन है। इनमें से 51 प्रतिशत के पास दूसरा और 20 प्रतिशत के पास तीसरा साधन है।
  - रणनीतिक कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAPs) और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को संरेखित करना महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विक जलवायु लचीलापन के लिए UAE फ्रेमवर्क (FGCR):** COP 28 में सहमत UAE FGCR लक्ष्यों की दिशा में प्रगति मिश्रित है, जिसमें गरीबी में कमी और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण जैसे विषयगत क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - कई NAPs, UAE FGCR लक्ष्यों का संदर्भ देते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक डेटा और योजना का अभाव है।
- **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** विकासशील देशों में क्षमता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में असमन्वित, अल्पकालिक प्रयासों के कारण इसमें प्रभावशीलता का अभाव है।

वित्तीय अंतर को समाप्त करने में चुनौतियाँ

- **वित्तपोषण साधनों की जटिलता:** अनुकूलन वित्त परिदृश्य में लचीलापन बॉण्ड, अनुकूलन के लिए ऋण विनिमय और प्रदर्शन-आधारित जलवायु अनुदान शामिल हैं। इन साधनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत संस्थागत क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसकी विकासशील देशों में कमी है।
- **नीतिगत बाधाएँ:** जलवायु जोखिम प्रकटीकरण ढाँचे और अनुकूलन वर्गीकरण जैसी मजबूत सक्षम नीतियों की अनुपस्थिति निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है।
- **सार्वजनिक वित्त पर उच्च निर्भरता:** रिपोर्ट में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी पर प्रकाश डाला गया है, जो अधिक योगदान दे सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ राजस्व-उत्पादन के अवसर हैं।

नीति अनुशंसाएँ (Policy Recommendations)

- अनुकूलन प्रयासों में निष्पक्षता और समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वर्तमान असमानताओं को न बढ़ाया जा सके, विशेष खास तौर पर लैंगिक और वंचित समुदायों के संबंध में।
- जलवायु वित्त चर्चाओं में "साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (common but differentiated responsibilities)" के सिद्धांत को मजबूत किया जाना चाहिए।

- एकीकृत विकास रणनीति के भाग के रूप में अनुकूलन वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को कवर करने वाले समग्र दृष्टिकोण को लागू करें।

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य

- भारत 2030 तक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है;
  - **उत्सर्जन में कमी:** भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा:** देश 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना चाहता है, जिसका लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।
  - **कार्बन सिंक(Carbon Sink):** भारत वनरोपण और पुनर्वनरोपण प्रयासों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की योजना बना रहा है।

Source: UNEP

पवन ऊर्जा उत्पादन में सुधार

सन्दर्भ

- तमिलनाडु सरकार ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु पुनर्शक्तिकरण, नवीनीकरण और जीवन विस्तार नीति - 2024 प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य छोटे पवन टर्बाइनों को पुनःशक्तिकरण या नवीनीकरण करके पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है।
  - हालांकि हितधारकों ने इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं का उदहारण देते हुए नीति पर आपत्ति व्यक्त की है।

भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाएं

- भारत में ज़मीन से 150 मीटर ऊपर 1,163.86 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता है और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में यह विश्व में चौथे स्थान पर है।
- इस पवन क्षमता का केवल 6.5% ही राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है।
- गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में अग्रणी राज्य हैं, जो सामूहिक रूप से देश की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापना में 93.37% का योगदान करते हैं।
- 2024 तक, अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 201.45 गीगावाट है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत है।
  - सौर ऊर्जा 90.76 गीगावाट का योगदान देती है, पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है, पनबिजली 46.92 गीगावाट तथा छोटी पनबिजली 5.07 गीगावाट जोड़ती है, और बायोमास एवं बायोगैस ऊर्जा सहित बायोपावर 11.32 गीगावाट जोड़ती है।

भारत के लक्ष्य

- भारत का विज़न 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त अल्पकालिक लक्ष्य भी प्राप्त करने हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना, जिसमें से 140 गीगावाट पवन ऊर्जा से आएगा।

- नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना।
- 2030 तक संचयी उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी लाना, और 2005 के स्तर से 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।

चुनौतियां

- **प्राकृतिक कारकों पर निर्भरता:** सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोत परिवर्तनशील हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश, पवन और पानी की उपलब्धता जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं।
- **सीमित पवन संसाधन क्षेत्र:** भारत की पवन संसाधन क्षमता मुख्य रूप से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित है।
  - जैसे-जैसे पवन ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, इन क्षेत्रों में भूमि की कमी होती जा रही है।
- **वन्यजीव प्रभाव:** पवन टर्बाइन पक्षियों और चमगादड़ों की जनसँख्या के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जो ब्लेड से टकरा सकते हैं।
- **उच्च लागत:** टर्बाइन, स्थापना और ग्रिड कनेक्शन की लागत निषेधात्मक हो सकती है, हालांकि हाल के वर्षों में लागत में कमी आई है।
- **टर्बाइन जीवनचक्र:** पवन टर्बाइनों का जीवनकाल सामान्यतः लगभग 20-25 वर्ष होता है। मिश्रित सामग्रियों से बने टर्बाइन ब्लेड को बंद करना और उनका पुनर्चक्रण करना, उनके पुनर्चक्रण में कठिनाई के कारण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है।
  - विशेष जहाजों, उपकरणों और स्थापना तकनीकों की आवश्यकता के कारण अपतटीय पवन फार्मों का निर्माण तटवर्ती पवन फार्मों की तुलना में अधिक कठिन और महंगा है।
  - ये परियोजनाएं प्रायः गहरे पानी में स्थित होती हैं, जिसके लिए तैरते टर्बाइनों की आवश्यकता होती है, जो अभी भी प्रायोगिक अवस्था में हैं।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति (2015):** यह नीति भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए शुरू की गई थी, विशेष रूप से गुजरात, तमिलनाडु और अन्य समुद्री क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में।
- **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन:** भारत में पवन ऊर्जा के विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है। पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 2030 तक 140 गीगावाट निर्धारित किया गया है।
- **राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति (2018):** नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों के इष्टतम एवं कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है।
- **पवन संसाधन मूल्यांकन:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE), देश भर में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए पवन संसाधन मूल्यांकन करता है।
- **पवन फार्म विकास:** कार्यक्रम पहचाने गए क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए सब्सिडी सहित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके पवन ऊर्जा संयंत्रों के विकास को प्रोत्साहन देता है।
- **पवन ऊर्जा नीलामी (प्रतिस्पर्धी बोली):** सरकार प्रतियोगी नीलामी का आयोजन करती है, जहां डेवलपर्स पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निविदाएं दाखिल करते हैं।
- **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO):** इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों और बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से क्रय करना पड़ता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को प्रोत्साहन मिलता है।

संक्षिप्त समाचार

4B आंदोलन (4B Movement)

सन्दर्भ

- डोनाल्ड ट्रम्प की विजय के पश्चात्, अमेरिका में सोशल मीडिया पर '4B ' आंदोलन का उदय देखा जा रहा है, जहां महिलाएं पितृसत्तात्मक और प्रायः स्त्री-द्वेषी संस्थाओं और प्रथाओं का विरोध करने के लिए पुरुषों के साथ सेक्स और विवाह को अस्वीकार कर रही हैं।

4B आंदोलन के बारे में:

- इसकी शुरुआत दक्षिण कोरिया में 'मीटू(MeToo)' और 'कोर्सेट से बचो(escape the corset)' आंदोलनों के बाद हुई थी।
- 4B का अर्थ है चार "नोस(Nos)", B कोरियाई भाषा में "नहीं" का संक्षिप्त रूप है, और ये हैं "बियेओनाए(biyeonae)" (पुरुषों के साथ डेटिंग नहीं); "बिसेकसेउ(bisekseu)" (पुरुषों के साथ यौन संबंध नहीं); "बिहोन(bihon)" (पुरुषों से शादी नहीं); और "बिचुलसन(bichulsan)" (बच्चे पैदा नहीं करना)।
- 4B को कभी-कभी 6B4T तक विस्तारित किया जाता है, जो स्त्री-द्वेषी समझी जाने वाली कंपनियों से दूर रहने, प्रशंसक संस्कृति को अस्वीकार करने, पुरुष दृष्टि के अनुरूप सौंदर्य मानकों को अस्वीकार करने आदि का समर्थन करता है।

कारण

- 4B आंदोलन कट्टरपंथी नारीवाद की उस धारा से संबंधित है, जिसका मानना है कि विषमलैंगिक संबंध मूलतः उत्पीड़न की संरचनाएँ हैं, और महिलाओं को वास्तव में स्वतंत्र और खुश रहने के लिए इनसे मुक्त होने की आवश्यकता है।
- 4B आंदोलन के समर्थकों का यह भी मानना है कि जब तक पुरुष लैंगिक न्यायपूर्ण समाज के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य नहीं करते, तब तक महिलाओं को उन्हें बच्चों, प्यार और भावनात्मक तथा अन्य प्रकार के श्रम से पुरस्कृत नहीं करना चाहिए।

प्रभाव

- 2021 में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने कहा कि इस तरह के आंदोलन देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच "स्वस्थ संबंधों को अवरुद्ध(blocking healthy relationships)" कर रहे हैं।
- वास्तव में, जून 2024 में, दक्षिण कोरिया ने घटती जन्म दर के कारण "जनसांख्यिकीय राष्ट्रीय आपातकाल(demographic national emergency)" घोषित किया, आलोचकों ने सुझाव दिया कि 4B आंदोलन ने इस प्रवृत्ति में योगदान दिया हो सकता है।

Source: IE

QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (QS World University Rankings)

समाचार में

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया (2025) हाल ही में जारी की गई है, जिसमें एशिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डाला गया है।

परिचय

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया (2025) पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों के 984 संस्थानों का मूल्यांकन करती है।
- वैश्विक उच्च शिक्षा क्षेत्र में डेटा, विशेषज्ञता और समाधान प्रदान करने के लिए जाने वाले संगठन क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा संकलित, ये रैंकिंग संस्थागत गुणवत्ता को दर्शाने वाले प्रमुख संकेतकों पर प्रकाश डालती है।
- रैंकिंग प्रमुख संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करती है: शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय-छात्र अनुपात और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और वैश्विक प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क।

भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

- भारत के 2 संस्थान शीर्ष 50 में तथा 7 संस्थान शीर्ष 100 में हैं।
- **शीर्ष संस्थान:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IITD) 44वें स्थान पर है, उसके बाद IIT बॉम्बे 48वें स्थान पर है।
    - अन्य शीर्ष 100 संस्थानों में IIT मद्रास (56), IIT खड़गपुर (60), भारतीय विज्ञान संस्थान (62), IIT कानपुर (67) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय (81) शामिल हैं।
- **उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:** IIT दिल्ली (44वें) ने 99% का उच्च नियोक्ता प्रतिष्ठा स्कोर प्राप्त किया।
    - IITबॉम्बे (48वें) ने नियोक्ता प्रतिष्ठा में 99.5% तथा शैक्षणिक प्रतिष्ठा में 96.6% स्कोर किया।
    - दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क में 96.4% स्कोर करते हुए 94वें स्थान से 81वें स्थान पर पहुँच गया।
- **रैंकिंग प्रतिनिधित्व में वृद्धि:** रैंकिंग में भारत के संस्थानों की संख्या सबसे अधिक है, 2015 में 11 से 2025 में 46 तक रैंक किए गए संस्थानों में 318% की वृद्धि हुई है।
- **क्षेत्रीय प्रभुत्व:** भारत दक्षिण एशिया में सबसे आगे है, इस क्षेत्र के शीर्ष दस में सात संस्थान हैं।

Source: AIR

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं परिवर्तित किया जा सकता

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में अभ्यर्थियों के चयन के लिए 'खेल के नियम', भर्ती शुरू होने के बाद बीच में नहीं परिवर्तित किये जा सकते।

परिचय

- 'खेल' चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया है।
- 'नियम' दो श्रेणियों में आते हैं;
    - एक जो रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड या आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है, और
    - दूसरा जो योग्य उम्मीदवारों में से चयन करने की विधि और तरीके को निर्धारित करता है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं परिवर्तित जा सकता जब तक कि वर्तमान नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो वर्तमान नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।
- यदि मानदंड में परिवर्तन करना भी पड़े, तो यह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर और गैर-भेदभाव) की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और गैर-मनमानी की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

Source: TH

भारत के 51 वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)

सन्दर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली और उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में

- भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।
- संविधान का अनुच्छेद 124 (1) केवल यह कहता है कि, "भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा।"
- संविधान के अनुच्छेद 124 का खंड (2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- इस प्रकार, संवैधानिक प्रावधान के अभाव में, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया परंपरा पर निर्भर करती है।

परम्परा क्या है?

- निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के लिए एक अभ्यास की सिफारिश करते हैं, जो वरिष्ठता पर आधारित होता है।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठता उम्र से परिभाषित नहीं होती है, बल्कि उस तिथि से परिभाषित होती है जिस दिन न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था।
- यदि दो न्यायाधीशों को एक ही दिन उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया जाता है, तो
  - जिसने पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, वह दूसरे से वरिष्ठ हो जाएगा;
  - यदि दोनों ने एक ही दिन न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो उच्च न्यायालय में अधिक वर्षों की सेवा करने वाला व्यक्ति वरिष्ठता के मामले में 'जीत' जाएगा;
  - पीठ से नियुक्ति बार से नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता में 'पराजय' होगी।

क्या आप जानते हैं?

- न्यायमूर्ति खन्ना उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक निर्णय का हिस्सा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) की पवित्रता को बरकरार रखना, चुनावी बांड योजना को समाप्त करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना।

Source: TH

ग्लूटेन (Gluten)

सन्दर्भ

- ग्लूटेन कुछ लोगों में उत्पन्न होने वाली एलर्जी के लिए कुख्यात है।

परिचय

- **ग्लूटेन:** कई अनाजों में - लेकिन विशेष रूप से जौ, गेहूँ और राई में - विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, जिन्हें पानी में मिलाकर गूंथने पर एक लोचदार द्रव्यमान बनता है, जिसे ग्लूटेन कहा जाता है।
  - इन प्रोटीनों के दो महत्वपूर्ण प्रकार ग्लियाडिन(gliadins) और ग्लूटेनिन(glutenins) हैं। सूक्ष्म स्तर पर, ग्लूटेन प्रोटीन अणुओं का एक लोचदार जाल है।
- **एलर्जी:** प्रोटीज़ नामक एक एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है लेकिन यह ग्लूटेन को तोड़ नहीं सकता है।
  - जब ऐसा ग्लूटेन छोटी आंत में पहुँचता है, तो शरीर में जठरांत्र संबंधी समस्याएँ विकसित हो सकती हैं।
- **सीलिएक रोग:** यह छोटी आंत में एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया की विशेषता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बड़ी संख्या में एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है जो शरीर के अपने प्रोटीन पर हमला करती हैं।
  - यह बीमारी सामान्य जनसंख्या के लगभग 2% लोगों में उपस्थित है। ग्लूटेन में बहुत कम आहार बनाए रखना वर्तमान में सीलिएक(coeliac) रोग के उपचार का एकमात्र प्रभावी तरीका है।

Source: TH

अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में भारतीय कंपनियां

सन्दर्भ

- अमेरिका ने रूस को दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं आपूर्ति करने वाली 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

परिचय

- अमेरिकी सरकार ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसका शीर्षक है "रूसी संघ की सरकार की निर्दिष्ट हानिकारक विदेशी गतिविधियों के संबंध में संपत्ति को अवरुद्ध करना"।
- यह आदेश अमेरिका को उन संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति देता है जो अमेरिका द्वारा हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों में रूस की सहायता कर रही हैं।
- हाल ही में यह प्रतिबंध रूस को दोहरे उपयोग वाली तकनीकें प्रदान करने और रूसी कंपनियों के साथ अन्य लेन-देन के लिए लगाया गया था।
  - इन कंपनियों की पहचान "तीसरे देश के प्रतिबंधों से बचने वालों" के रूप में की गई है।

प्रतिबंधों के निहितार्थ

- ये कंपनियाँ अब अमेरिका की "ब्लैक लिस्ट" में होंगी, अमेरिका में उनकी संपत्ति या निधि जब्त होंगे और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाएँगे।
- भारत अमेरिका या किसी अन्य देश द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता है।
  - भारत केवल संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करता है।

Source: TH

बिजली गिरने से बचाने के लिए तड़ित चालक (Lightning Rods to Prevent Lightning Strikes)

सन्दर्भ

- जलवायु परिवर्तन के कारण बिजली गिरने की आवृत्ति बढ़ जाने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 24,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिससे बिजली गिरने से बचाव के लिए तड़ित चालक की आवश्यकता बढ़ रही है।

बिजली (lightning) क्या है?

- बिजली बादल और जमीन में आवेशित कणों के बीच एक विद्युत निर्वहन है।
- हालाँकि हवा सामान्यतः एक विद्युत इन्सुलेटर है, जब लगभग 3 मिलियन V/m के उच्च वोल्टेज के संपर्क में आती है, तो इसके इन्सुलेटिंग गुण टूट जाते हैं, जिससे यह करंट का संचालन करने लगता है।

तड़ित चालक (lightning rod) क्या है?

- जब बिजली बादल और ज़मीन पर या उसके आस-पास की किसी वस्तु के बीच गिरती है, तो वह कम से कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाती है, जिसका तात्पर्य है कि वह सबसे अधिक विद्युत क्षमता वाली सबसे नज़दीकी वस्तु की ओर बढ़ती है।
- तड़ित चालक एक नुकीली धातु की छड़ होती है जिसे इमारतों और संरचनाओं के ऊपर लगाया जाता है।
- छड़ का नुकीला आकार इसके चारों ओर एक मज़बूत विद्युत क्षेत्र बनाता है, जो पहले आस-पास की हवा को आयनित करता है और बिजली के प्रवाह के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।

तड़ित चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहां जाती है?

- विद्युत धारा उच्च विद्युत क्षमता वाले स्थान से कम विद्युत क्षमता वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है।
- तड़ित चालक एक तार से जुड़ी होती है जो इमारत की लंबाई के माध्यम से जमीन में गिरती है, जहाँ यह अपने विद्युत आवेशों को अपने आस-पास के वातावरण में फैला देती है।
- पृथ्वी कम विद्युत क्षमता के प्रचुर स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो विद्युत आवेशों को सुरक्षित रूप से फैलाने में सहायता करती है।

बिजली अवरोधक क्या हैं?

- लाइटनिंग अरेस्टर विशेष उपकरण हैं जिनका उपयोग बिजली के हमलों से प्रेरित अचानक उच्च धाराओं से विद्युत प्रणालियों की रक्षा के लिए किया जाता है।
- वे संवेदनशील विद्युत उपकरणों से उच्च धारा को हटाकर और इसे एक ऐसे मार्ग से निर्देशित करके कार्य करते हैं जो उछाल को संभाल सकता है, इस प्रकार क्षति को रोकता है।

क्या बिजली(Lightning), तड़ित चालक (Lightning Rod) से बच सकती है?

- तड़ित चालक की प्रभावशीलता के बावजूद, कई कारणों से कभी-कभी बिजली के आघात उनसे बच सकते हैं;
    - **अनुचित स्थापना (Improper installation):** गलत ऊंचाई, कोण या अन्य संरचनाओं के बहुत करीब स्थापित की गई छड़ें।

- **खराब ग्राउंडिंग**: यदि छड़ को ठीक से ग्राउंड नहीं किया जाता है, तो यह करंट को प्रभावी ढंग से प्रवाहित करने में विफल हो जाती है।
- **कई बार बिजली गिरने की घटनाएं:** कई बार बिजली गिरने की घटनाएं सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं।
- **गलत डिजाइन या रखरखाव:** जो छड़ें विकृत, जंग लगी हुई या खराब तरीके से रखी गई हैं, वे अपेक्षित रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं।

Source: TH

पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च (MBRL) सिस्टम

सन्दर्भ

- फ्रांस अपनी आवश्यकताओं के लिए भारत की पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च (MBRL) प्रणाली पर विचार कर रहा है और जल्द ही इस प्रणाली का विस्तृत मूल्यांकन करने जा रहा है।

परिचय

- पिनाका MBRL प्रणाली को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया था।
- इस प्रणाली का नाम भगवान शिव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पौराणिक हथियार "पिनाका" के नाम पर रखा गया है।
- इसमें 75 किलोमीटर और उससे भी आगे के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है।
- पिनाका MBRL 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है, जो इसे दुश्मन की रक्षा को तेज़ी से मात देने के लिए एक प्रभावी हथियार बनाता है।
- स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका के लिए आर्मेनिया पहला निर्यात ग्राहक बन गया और इस प्रणाली में कई देशों ने रुचि दिखाई।

Source: TH

■■■■